



बी0आई0टी0 सिन्दरी

पोस्ट-सिन्दरी इन्स्टीट्यूट, धनबाद, 828123, झारखंड
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, राँची
ए0आई0सी0टी0ई, नई दिल्ली द्वारा मान्यता एवं जे0यू0टी0, राँची द्वारा संबद्धता
(अधिविधि शाखा)



संख्या :

सिन्दरी, दिनांक-

सूचना

जेसीईसीईबी, राँची द्वारा बी0टेक0 प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर (Lateral Entry) तथा एम0 टेक0 प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-27 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि:-

(1) वैसे छात्र-छात्राएँ जिनके द्वारा वार्षिक शुल्क (Annual Fee) या छात्र निधि शुल्क (Student Fund Fee) ऑनलाइन जमा करते समय देय राशि से अत्यधिक राशि का भुगतान (जैसे की Double Payment या अन्य कोटि/Category आदि जैसा भुगतान) हो गया है, वैसे छात्र निम्नांकित दस्तावेज अधिविधि शाखा (Academic Section) में दिनांक 06.11.2026 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

- संकायाध्यक्ष अधिविधि के पक्ष में एक Handwritten Application जिसमें देय राशि से अत्यधिक राशि के भुगतान का विवरण हो।
- नया आवंटन पत्र (Recent Allotment Letter)।
- ऑनलाइन जमा किये गये शुल्क की प्रति।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति अथवा Cancelled Cheque.

(2) बी0टेक0 प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर (Lateral Entry) 2026-27 के वैसे छात्र-छात्राएँ जिनका पूर्व में नामांकन किसी अन्य कोटि (Category) में हुआ और उसके बाद TFW में नामांकन हो गया है वैसे छात्र निम्नांकित दस्तावेज अधिविधि शाखा में दिनांक 06.11.2026 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

- संकायाध्यक्ष अधिविधि के पक्ष में एक Handwritten Application जिसमें कोटि (Category) के बदलाव का विवरण हो।
- नया आवंटन पत्र (Recent Allotment Letter)।
- ऑनलाइन जमा किये गये शुल्क की प्रति।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति अथवा Cancelled Cheque.

ह0/-

प्रभारी पदाधिकारी
अधिविधि

ज्ञाप संख्या : 460
प्रतिलिपि-

सिन्दरी, दिनांक:- 28.10.2026

(1) सभी अभियंत्रण विभागाध्यक्ष, बी0आई0टी0 सिन्दरी को सूचनार्थ प्रेषित। (2) सामान्य सूचना पट्ट पर प्रसारार्थ। (3) छात्रावास सं0 20, 21, 27, 29, 30 एवं 31 के सूचना पट्ट पर प्रसारार्थ। (4) New पी0जी0 एवं Old पी0जी0 छात्रावास के सूचना पट्ट पर प्रसारार्थ। (5) प्रभारी पदाधिकारी वेबसाइट, बी0आई0टी0 सिन्दरी, (नोटिस वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)। (6) निदेशक के निजी सहायक, बी0 आई0 टी0 सिन्दरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
अधिविधि
दिनांक 28.10.2026